तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	अह...
22-11-17	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार से जवाब प्राप्त कर पत्रावली पेश हो।	
२5·5·18	पत्रावली आज ~~न्याय~~ आपके द्वार अभियान 2018 के तहत लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटलसेवा केन्द्र ईसरदा पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। तहसीलदार द्वारा जवाब पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली किया। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थिया द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र ग्राम ईसरदा स्थित खसरा सं० 4049, 4050/5440 कुल किता 2 रकबा 1.26 हैक्टेयर क्रय किया था। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में उक्त दोनों खसरा सं० उसके खातेदारी में अंकित है परन्तु इन दोनों खसरा नम्बरान पर कोई अन्य काबिज है। प्रार्थिया राजस्व जमाबंदी में चरागाह के रूप में दर्ज भूमि खसरा सं० 4066 से 4068, 4071 कुल किता 3 रकबा 1.26 हैक्टेयर पर काबिज है और इस आधार पर इन खसरा सं० को अपने नाम दर्ज करवाना एवं खसरा 4049, 4050/5440 को इन्द्राज करवाना चाहती है। जवाब तहसीलदार अनुसार प्रार्थिया द्वारा वर्ष 2004 में जरिये पंजीकृत खस० 4049, 4050/5440 विक्रय पत्र पर क्रय किये हैं जो खसरा संख्या प्रार्थिया की खातेदारी में अंकित है जिन पर अन्य कोई काबिज है। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र 136 के अंतर्गत कवर नहीं होता है। पत्रावली का अवलोकन करम नज़र करने पर पाया कि प्रार्थिया ने भूमि क्रय की थी और विक्रय पत्र में खस० 4049 व 4050/5440 का क्रय किया जाना एवं उस पर काबिज होना अंकित है नवीन खस० 4049, 4050/5440 वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया के नाम है। प्रार्थी उक्त खसरा नम्बरान पर काबिज नहीं होकर किसी अन्य खसरा नम्बर पर काबिज है तो वह राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि होना सिद्ध नहीं करता। इस प्रकार प्रार्थिया द्वारा चाहा गया अनुतोष धारा 136 की परिधि में नहीं आने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार हो दर्ज रजि० सेकम हो।	